संतोष कुमार

न्यायालय अनुमंडल पदा0, सिमडेगा।

Notice 22-2-2018

[बोर्ड के आदेश सं० ४११६ बी० ता० १२-८-११ में अनुमोदित]

[स्थायी रूप से रक्षणीय]

संयुक्त मुख्य-पृष्ठ और पत्रावरण ।

सिविल विभाग

SAR 21/2014-15

रजिस्टर सं०

सुशील कुमार सिमडेगा

बनाम संतोष कुमार

कागज का वर्णन	किस तारीख को दाखिल किया गया	पन्नों की संख्या	स्टाम्प का मूल्य	कागज की श्रेणी	अभ्युक्ति
२	३	४	५	६	७
					21-11-16
				18.4.18	9-12-16
			22.4.201	30-5-18	16-1-17
			09/02/21		
			19/3/2021	11.7.18	17-2-17
			19-05-21	5-9-18	22-3-17
			1.9.2021	28-11-18	17-4-17
			6.10.21		
			11/12/2021	9.1.19	17-5.17
			25.1.2022	13-2-019	12.6.17
			22.2.2022	13-3-019	12-7-17
			29.3.22		
			3/4/22	17-6-19	16-8.17
			18/7/22	7-8-19	13-9-17
			20/8/22	25.9.19	18.10.17
			11.10.22		
					29.11.17
					10.1.18
					7.2.18
					14-3-18

Scanned with CamScanner

आदेश--पत्रक

(देखें नियम 129 अभिलेख हस्तक)

आदेश पत्रक–ता० .... से .... तक
जिला–सिमडेगा, संख्या SAR 21 /2014-15 सुशील कुजुर वगै०
केस का प्रकार:– बिहार अनुसूचित क्षेत्र विनियम 1969 बनाम
संतोष कुमार

आदेश की क्रम सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	की गई कार्रवाई
28-6-2014	श्री सुशील कुजुर पिता आनंद कुजुर साकिन थोंचो टोली सिमडेगा थाना सिमडेगा जिला–सिमडेगा ने आवेदन–पत्र दिया है कि निम्नलिखित जमीन को नाजायज तरीके से विपक्षी संतोष कुमार पिता रामेश्वर साहु साकिन– साहु मुहल्ला नीचे बाजार थाना सिमडेगा जिला–सिमडेगा ने कब्जा कर लिया है। इस जमीन को बिहार अनुसूचित क्षेत्र विनियम 1969 के अंतर्गत वापस दिलाने का अनुरोध करते हैं।	30.8.16 24.10.16 21.10.

ग्राम	खाता सं0	प्लॉट सं0	रकवा
सिमडेगा नीचे बाजार	43	147	42'x14'

उभय पक्ष को सूचित करें। अभिलेख दिनांक............................ को उपस्थापित करें।

(हस्ताक्षर)
अनुमण्डल दण्डाधिकारी,
सिमडेगा।

Scanned with CamScanner

न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, सिमडेगा।

वाद सं0–एस0ए0आर0 21 / 2014–15
दिनांक.....

सुशील कुजूर
बनाम
संतोष कुमार

आदेश

प्रस्तुत वाद अनुसूचित क्षेत्र विनियम, 1969 अन्तर्गत भूमि वापसी वाद की कार्यवाही अंचल अधिकारी, सिमडेगा के पत्रांक–376(ii), दिनांक 21.06.2014 के द्वारा सिमडेगा के वार्ड नं0–12 में आदिवासी के जमीन पर अवैध रूप से गैर आदिवासियों के द्वारा पक्का मकान बनाया जाने के संबंध में जाँच प्रतिवेदन की मांग करते हुए कार्यवाही प्रारंभ की गयी। तद्नुसार विपक्षी संतोष कुमार, पिता–रामेश्वर साहु, साकिन–साहु मुहल्ला नीचे बाजार, थाना–सिमडेगा, जिला–सिमडेगा ने अवैध तरीके से उनकी रैयती भूमि पर कब्जा कर लिया हैं। जिसे बिहार अनुसूचित क्षेत्र विनियम, 1969 के तहत् वापस किया जाना हैं। वाद सं0–21 / 2014–15 के अनुसार प्रश्नगत् भूमि की विवरणी निम्नवत हैं:–

मौजा	खाता नं0	प्लॉट नं0	रकबा
सिमडेगा	43	147	44'X14'

वाद की कार्यवाही प्रारंभ करते हुए अंचल अधिकारी, सिमडेगा को इस न्यायालय के पत्रांक 194 / विधि, दिनांक 07.04.2014 द्वारा उपर्युक्त अंकित भूमि से संबंधित प्रतिवेदन की मांग की गई। अंचलाधिकारी, सिमडेगा के पत्रांक–595(ii), दिनांक 11.10.2014 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा–सिमडेगा, खाता नं0–43, प्लॉट नं0–147, रकबा–44'X14' का हल्का कर्मचारी / अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदनानुसार मौजा–सिमडेगा के सर्वे खतियान में आवेदित भूमि जुसफ उरांव वल्द माना उरांव वो खीस्तो उरांव वो मलाकी उरांव वो फिरन उरांव वो जशमान उरांव वो प्रेम उरांव पिता–प्रभुदास उरांव वो मोसमात हन्न जोजे सामुएल उरांव वो सुलेमान उरांव वल्द जिन्दा उरांव वो सिमन उरांव वल्द दाउद उरांव एवं खतियानी बकब्जे जुसफ उरांव के नाम से 1.20 एकड़ भूमि दर्ज है।

पंजी– II के अनुसार वर्त्तमान जमाबंदी सुशील उरांव वगै0, पिता–आनन्द उरांव वगै0 के नाम से चल रही है। आवेदक खतियानी एवं बकब्जेदार रैयत के पोता है। आवेदित भूमि पर विपक्षी का 44'X14' पर पक्का मकान बना हुआ है एवं 0.07½ एकड़ भूमि पर मकान सहित ईंट का घेरा बना हुआ है। अभिलेख में संलग्न कागजात के अवलोकन से ज्ञात होता है कि आवेदक क्रमशः सुनील कुजूर, सुशील कुजूर एवं सुधीर कुजूर संयुक्त रूप से न्यायालय में आवेदन समर्पित किया गया है। जिसमें उल्लेख किया गया है कि प्रश्नगत् भूमि हमारी खतियानी जमीन है, जो हमारी आपसी भैयादी बंटवारा में हमारे छोटे भाई सुधीर कुजूर को प्राप्त है। प्रश्नगत् भूमि से हम बाकी भाईयों को कोई सरोकार नहीं है। सुधीर कुजूर को छोड़ बाकी हम सभी के नाम आवेदक से हटा दिया जाय। न्यायालय में दिनांक 27.09.2014 के उपरांत आवेदक 02.08.2016 तक अनुपस्थित रहे।

कृ0पृ0उ0

Scanned with CamScanner

ऐसा प्रतीत होता है कि उभय पक्षों को बिहार अनुसूचित क्षेत्र विनियम, 1969 के वाद की सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से अभिरूचि नहीं हैं। इनकी मनसा शायद न्यायालय के समय को बर्बाद करने का हैं। ऐसे स्थिति में वाद सं0–21/2014–15 को संचिकास्त किया जा सकता हैं। फिर भी यदि आवेदक की इच्छा हो तो संबंधित वाद को न्यायालय में पुनः सुनवाई हेतु आवेदन पत्र समर्पित करते हुए अनुरोध कर सकते हैं।

लेखापित एवं संशोधित।

अनुमण्डल पदाधिकारी
सिमडेगा।

अनुमण्डल पदाधिकारी
सिमडेगा।

Digitally signed by MAHENDRA KUMAR
Date: 2022.10.13 16:06:43 +05:30
Location: 192.168.202.80

Scanned with CamScanner